



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-19.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा चोरी/ नकबजनी के अपराधों में लिप्त 04 अभियुक्तगण 1.दुर्जन पासी 2.मायाराम पासी 3.रमेश पासी 4.राम किशुन जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर चोर हैं, जिनके विरुद्ध चोरी/ नकबजनी के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर कलां पर मु0अ0सं0 126/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 126/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. दुर्जन पासी पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद निवासी पट्टी थाना रामपुर कलां सीतापुर
2. मायाराम पासी पुत्र शत्रोहन पासी निवासी गुडुरुआ थाना रेउसा सीतापुर
3. रमेश पासी पुत्र राम भरोसे निवासी बल्दीपुरवा थाना रेउसा सीतापुर
4. राम किशुन पासी पुत्र बनवारी निवासी जबरपुरवा थाना रेउसा सीतापुर

आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्तगण दुर्जन पासी,मायाराम,रमेश पासी तथा राम किशुन पासी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/21 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुरक लां सीतापुर
2. मु0अ0सं0 74/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना रामपुर कलां सीतापुर
3. मु0अ0सं0 78/21 धारा 401 भादवि थाना रामपुर कलां सीतापुर
4. मु0अ0सं0 126/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर

